पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के टाईगर रिजर्व/ईको–सेंसिटिव जोन एवं आसपास के क्षेत्र में पर्यटन संबंधी एवं अन्य निर्माण कार्य की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक/भूमिस्वामी का नाम एवं पूर्ण पता	
2	कम्पनी/फर्म/होटल/रिसोर्ट/लॉन का नाम	
3	निर्माण स्थल का पूर्ण पता (ग्राम, थाना, तहसील, जिला)	
4	परियोजना भूमि का अक्षांस एवं देशांतर	
	उत्तर –	
	दक्षिण –	
	पूर्व –	
	पश्चिम –	
5	पटवारी हल्का नम्बर	
6	खसरा नम्बर	
7	भूमि का कुल रकबा	
8	निर्माणाधीन क्षेत्र का रकबा डी.पी.आर. अनुसार	
9	निर्माणाधीन भवन की सतह से ऊचाई	
10	भूमि व्यपवर्तन आदेश का क्रं. एवं दिनांक (यदि लागू हो तो)	
11	निर्माण के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित	
12	वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति आदेश का क्रं. एवं दिनांक (यदि आवश्यक हो)	

13	क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश/जुर्माना किया गया है – हां या नहीं	
14	कोर एरिया से दूरी आवेदित क्षेत्र	
15	आवेदित क्षेत्र कोरिडोर में है अथवा नहीं ?	
16	आवेदित क्षेत्र के विनिर्माण की तालाब/अन्य संरचना से दूरी	
17	आवेदित क्षेत्र के विनिर्माण की नदी/नाले से दूरी	

टीप –

1. उपरोक्तानुसार दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न शर्तो का पालन किया जाने पर ही अनुमति प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त जानकारी मेरे संज्ञान से सत्य हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मैं भारत शासन/म.प्र. शासन के समस्त अधिनियमों/नियमों/विधियों/उपविधियों का पालन करूंगा।

कृपया होटल/रिसोर्ट/लॉन/अन्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें।

दिनांक–

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान –

स्थानीय सलाहकार समिति, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी द्वारा ईको सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्य की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु आवश्यक जानकारी

(अनुविभागयी अधिकारी राजस्व कुरई एवं सहायक वन संरक्षक सिवनी की गठित कमेटी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)

1	आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता	
2	आवेदन का दिनांक	
3	परियोजना भूमि का क्षेत्रफल	
4	निर्माणधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल	
5	प्रस्तावित भवन का कुल परियोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल का प्रतिशत	
6	निर्माणाधीन भवन की भूमि सतह से ऊचाई	
7	कोर सीमा से दूरी	
8	बफर सीमा से दूरी	
9	कॉरिडोर सीमा से दूरी	
10	नदी / तालाब / नाला या अन्य जल संरचनाओं से दूरी	
11	फैंसिग का प्रकार –	
12	निर्माण के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित –	

13	जल स्त्रोत के कैचमेंट क्षेत्र को नुकसान की संभावना	हां / नहीं
14	जल प्रवाह अवरूद्ध होने की संभावना	हां / नहीं
15	परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण	हां / नहीं
16	ठोस एवं अवशिष्ट पदार्थो के उचित प्रबंधन की व्यवस्था	हां / नहीं

17	ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग	हां / नहीं
18	निर्माणाधीन भवन में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग प्रस्तावित	हां / नहीं
19	निर्माण कार्य की विस्तृत डी.पी.आर. संलग्न	हां / नहीं
20	निर्धारित प्रारूप में आवेदन	हां / नहीं
21	भूमि स्वामी को लेकर कोई विवाद की स्थिति	हां / नहीं

टीप :– निरीक्षण/परीक्षण के दौरान पायी गई विशेष परिस्थिति/जानकारी जो LAC के ध्याम में लाया जाना वांछनीय है।

सहायक वन संरक्षक
सिवनी क्षेत्र
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व कुरई सिवनी,

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के टाईगर रिजर्व/ईको–सेंसिटिव जोन एवं आसपास के क्षेत्र में पर्यटन संबंधी एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु स्थानीय सलाहकार समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक श्रीमान/श्रीमति ....द्वारा दिनांक .... को पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के इको–सेंसिटिव जोन में निर्माण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक वन संरक्षक सिवनी क्षेत्र की गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक .... द्वारा समस्त शर्तो एवं नियमों का पालन किये जाने की शर्त पर निर्माण कार्य हेतु अनुमति दिये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति एवं
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के टाईगर रिजर्व/ईको–सेंसिटिव जोन एवं आसपास के क्षेत्र में पर्यटन संबंधी एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रमाण पत्र

आवेदक श्रीमान/श्रीमति ....द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर स्थानीय सलाहकार समिति पेंच सिवनी की बैठक दिनांक ....के प्रस्ताव क्रमांक .... द्वारा दी गयी अनापत्ति के अनुक्रम में सचिव/क्षेत्र संचालक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के अनुक्रम में ग्राम के खसरा नं. .... पटवारी हल्का नं............ तहसील.............................जिला...........................में स्थित भूमि पर रिसोर्ट/लॉज/होटल निर्माण की अनुमति निम्न शर्तो पर दी जाती है :–

अनिवार्य शर्ते :–

1. भारत सरकार तथा राज्य शासन के सभी विधियों/उप विधियों/नियमों का अनुपालन करना होगा।
2. कोर से एक कि.मी. या इससे कम दूरी में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
3. कारीडोर में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. तालाबों तथा अन्य जल संरचनाओं से 100 मीटर की दूरी एवं केचमेंट एरिया में कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा।
5. नदी/नालों के किनारे से दोनों ओर 100 – 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
6. निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल कुल परियोजना भूमि का अधिकतम 10% तक होगा।
7. भवन की ऊंचाई (भूतल तथा प्रथम तल सहित) अधिकतम 8.5 मीटर अनुमत्य होगी। शेष परियोजना भूमि पर भवन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पक्के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
8. पानी की टंकी की उंचाई, यदि पृथक से बनाई जाती है तो 9.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसका रंग हरा या आसपास की नैसर्गिक प्रकृति से मिलता हुआ होना चाहिए।
9. जिन परियोजना भूमि में वृक्षारोपण नहीं है वहॉ पर स्थानीय प्रजातियों जैसे सागौन, लेंडिया, धवा, साजा, महुआ, पीपल, बरगद, बांस आदि के पौधों का रोपण अनिवार्य होगा। विदेशी पौधों की प्रजाति का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
10. ठोस एवं अपशिष्ट पदार्थो का समुचित प्रबंधन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी प्रकार की वायर अथवा वारबेट वायर, चैनलिंक या अन्य तार फैसिंग जिससे वन्यजीव को नुकसान हो अनुमत्य नहीं होगी। पूर्व में लगाई गई इस तरह की फैंसिंग को अनिवार्यतः हटाना होगा। चार फिट तक ऊंचाई की पत्थर, मिट्टी एवं झाड़ी की फैंसिंग की अनुमति होगी।

12. होटल/लॉज/रिसोर्ट के परिसर से बाहर 70 डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं आनी चाहिये। डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्पीकार, ध्वनी विस्तारक यंत्र पूर्णतः बंद कमरों/हॉल में उपयोग किये जा सकते है, इस प्रकार की परिसर से बाहर 70 डेसीबल से अधिक ध्वनि न आए।
13. भवनों पर या बाहरी दीवारों पर लगाये गये लाईट बल्ब का मुख नीचे की ओर हो एवं सभी बल्ब में कवर लगाया जाना अनिवार्य होगा ताकि फैलता हुआ तेज प्रकाश दूर से दिखाई न दे और वन्यप्राणियों को प्रकाश से किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
14. भवन निर्माण के दौरान LEED एवं GRIH के ग्रीन निर्माण के मानदण्डों का पालन किया जाना होगा।
15. सभी पूर्व के बने एवं भविष्य में निर्मित होने वाले होटल/रिसोर्ट/लॉज इत्यादि में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगा।
16. प्रत्येक रिसोर्ट/होटल/लॉज इत्यादि को न्यूनतम 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को अनिवार्यतः नियोजित करना होगा।

<u>वांछित शर्ते :-</u>

1. प्रकाश एवं पानी गर्म करने के लिये सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. भवन निर्माण हेतु स्थानीय सामग्रियों जैसे क्ले, बांस मिट्टी, कवेलू, आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. लैंडस्केप के अनुरूप सौम्य एवं पर्यवरण के अनुकूल रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. अपशिष्ट पदार्थों के रिसाइक्लिंग तथा रियूज को बढ़ावा देना चाहिए। वर्मीकम्पोस्ट, नाडेप तथा बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जाना चाहिए।

कलेक्टर
सिवनी/छिंदवाड़ा